न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

(16)

निगरानी प्रकरण कमांक 4218–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–12–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रतलाम ग्रामीण प्रकरण कमांक 17/अपील/2015–16.

मृतक अफजल पिता कमरू के वारिसान–
1– सलमा बी पति स्व. अफजल
2– कु. कायनात पिता स्व. अफजल
3– सोहेल पिता स्व. अफजल
4– साहिल पिता स्व. अफजल नाबालिग द्वारा सरपरस्त माता सलमा बी पति स्व. अफजल निवासीगण 307 बिरियाखेड़ी रतलाम .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रशीदा बानो पति एहमद नूर घोसी
2– अलताफ पिता एहमद नूर घोसी निवासीगण शाही मस्जिद के पास कोटड़ी, कोटा (राजस्थान) .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.एल. ग्वालियरी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 6/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रतलाम ग्रामीण द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–12–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार रतलाम (ग्रामीण) द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–10–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रतलाम ग्रामीण के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी,

इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17/अपील/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान मृतक अफजल की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–12–16 को आदेश पारित कर निरस्त कर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के निराकरण हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण तहसील न्यायालय में आपत्तिकर्ता थे, और तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उनकी आपत्ति निरस्त की गई है । ऐसी स्थिति में उन्हें अनुविभागीय अधिकारी से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका रशीदा बानो का नाम दर्ज था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मृतक अफजल द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपील प्रस्तुत

करने की अनुमति भी नहीं ली गई है, इस कारण अपील विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मृतक अफजल की उक्त आपत्ति निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है, इसलिए वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । चूंकि अनावेदकगण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, इसलिए उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रतलाम ग्रामीण द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–12–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक 4218–पीबीआर/16 मृतक अफजल पिता कमरू के वारिसान– सलमा बी पति स्व. अफजल एवं तीन अन्य विरूद्ध रशीदा बानो एवं एक अन्य पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर